**संख्या-68/2022/I/151527/2022/23-11002(002)/24/2021**

प्रेषक,

राजेश कुमार पाण्डेय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण,
गोमती नगर, लखनऊ।

**लोक निर्माण अनुभाग-11** **लखनऊ: दिनांक 30 मार्च 2022**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2021-22 में उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण हेतु गैर वेतन मद में प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

---

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त नियंत्रक/सदस्य (वित्त), उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण, गोमती नगर, लखनऊ के पत्र संख्या-787/लेखा/बजट/2021-22/उपशा/लखनऊ, दिनांक 02-02-2022 के सन्दर्भ में एवं शासनादेश संख्या-448/2021/997ई/23-11-2021-668ई/2011, दिनांक 21-09-2021 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण हेतु गैर वेतन मद में प्राविधानित धनराशि रू0 80.00 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 60.00 लाख में से द्वितीय किश्त की धनराशि रू0 20.00 लाख (रू0 बीस लाख मात्र) स्वीकृत कर व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धो के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) उक्त धनराशि का व्यय प्राधिकरण के अधिनियम के प्राविधानों तथा शासन द्वारा निर्धारित शर्तो/प्रतिबन्धों के अनुसार किया जायेगा तथा वित्त विभाग के आदेशों/वित्तीय हस्तपुस्तिका/बजट मैनुअल के प्राविधानों का भी अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) उक्त स्वीकृति की जा रही धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के अध्याय-16ए में दिये गये सहायक अनुदान के सामान्य नियमों/स्थायी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कार्यात्मक आवश्यकतानुसार कोषागार से आहरित कर किया जायेगा तथा धनराशि बैंक/डिपॉजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। उपकरणों आदि का क्रय स्टोर पर्चेज रूल्स एवं संगत वित्तीय नियमों के तहत किया जायेगा।

(3) आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष) महालेखाकार (लेखा) उ0प्र0, प्रयागराज को प्रेषित की जायेगी तथा लेखों का मिलान महालेखाकार के खाते से किया जायेगा।

(4) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-03/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनांक 22-03-2021 में निहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-58 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-3054-सड़क तथा सेतु-03-राजकीय राजमार्ग-800-अन्य



http://shasanadesh.up.nic.in

व्यय-03-उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण को सहायता-0301-राज्यमार्गो का अनुरक्षण-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-8-3724-दस-2021-2022, दिनांक मार्च 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(राजेश कुमार पाण्डेय)
अनु सचिव।

**<u>संख्या व दिनांक तदैव</u>**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
4- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- सदस्य, वित्त उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण, मण्डी भवन, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2/4
8- लोक निर्माण अनुभाग-10
9- नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लो0नि0वि0,उ0प्र0 शासन।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेश कुमार पाण्डेय)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in